

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला-बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 641 / 2015
संस्थान दिनांक 05.11.2015

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी
जिला-बड़वानी म.प्र.

-----अभियोगी

विरुद्ध

सुनिल पिता नानुराम, आयु 25 वर्ष,
निवासी-ग्राम नायदड़ रोड़ ठीकरी,
तहसील-ठीकरी, जिला-बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

राज्य द्वारा	—	श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.पी.ओ. ।
अभियुक्त द्वारा	—	श्री विशाल कर्मा. अधिवक्ता ।

// निर्णय //

(आज दिनांक 12.10.2017 को घोषित)

01. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 304 / 2015 के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 11.10.2015 को समय शाम 7:30 बजे के करीब लक्ष्मीबाई के मकान के सामने नायदड़ रोड़ में फरियादी की लज्जा भंग करने के आशय से पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग करने के संबंध में धारा 354 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है ।

02. प्रकरण में उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य यह है कि फरियादिया, आरोप को जानती है। अभियुक्त को जानते हैं तथा पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि फरियादी द्वारा राजीनामा करने के आधार पर आरोपी को भा.द.सं. की धारा 506 भाग-2 के अपराध से दोषमुक्त किया गया ।

03. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 11.10.2015 को फरियादिया ने आरोपी के विरुद्ध थाना ठीकरी में यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी उसके मोहल्ले में रहता है एक माह से आरोपी उसे अकेला पाकर अश्लील कमेंट बोल कर परेशान कर रहा था। उसने परिवार को यह बात नहीं बताई थी। आज वह मजदूरी करके घर जा रही थी। शाम लगभग 7:30 बजे लक्ष्मीबाई के मकान के सामने आरोपी ने उसे अकेला देख कर उसका हाथ बुरी नियत से पकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा तो वह चिल्लाई तब भारती जाधव,

लक्ष्मी, शमिम आ गये। आरोपी ने उसे जान से मार देने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर उक्त अपराध क्रमांक 304/2015 दर्ज कर अंतर्गत धारा 354, 506 भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर पुलिस ने फरियादी की निशांदेही पर घटना स्थल का नक्शामौका पंचनामा बनाया, पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया था। पुलिस ने साक्षी फरियादी और साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये थे तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04. अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 354, 506 भाग-2 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप निर्मित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 द.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा बचाव में साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया है।

05. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है कि:-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 11.10.2015 को को समय शाम 7:30 बजे के करीब लक्ष्मीबाई के मकान के सामने नायदड रोड फरियादी का हाथ लज्जा भंग करने के आशय से पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

साक्ष्य विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार

06. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी (अ.सा.1) का कथन है कि दिनांक 11.10.2015 को उसे मोहल्ले वाले दबाव देकर थाना ठीकरी पर लेकर गये थे जहां पुलिस (के बोलकर उसके हस्ताक्षर कराए। आरोपी ने उसके साथ कोई घटना नहीं की थी। पुलिस ने उसके कोई कथन नहीं लिये थे। साक्षी ने प्रदर्श पी-1 व प्रदर्श पी-02 पर अपने हस्ताक्षर जिसके ए से ए भाग पर होना बताया। आरोपी द्वारा उसके साथ कोई भी घटना करने से इंकार किया। इस साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि घटना वाले दिन जब वह मजदूरी करके 07:30 बजे वापस आ रही थी तब आरोपी ने उसे आकेला देखकर आरोपी ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ा था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि उसके चिल्लाने पर भारती, शमिम और लक्ष्मी आ गये थे। साक्षी ने प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट तथा पुलिस कथन प्रदर्श पी-3 में भी उक्त बातें बताने को स्पष्ट इंकार किया है। फरियादी ने स्वीकार किया कि आरोपी से राजीनामा हो गया है किन्तु इस सुझाव से इंकार किया कि वह असत्य कथन कर रही है।

07. श्रीमती लीना (अ.सा.2) का कथन है कि उसने दिनांक 11.10.2015 को थाना ठीकरी में फरियादिया की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 304/15 प्रदर्श पी-1 का दर्ज किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। फरियादिया की निशांदेही से नक्शा मौका प्रदर्श पी-2 का बनाया था जिसके बी

बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसने आरोपी को गिरफ्तार किया था। उसने फरियादिया का जन्म प्रमाण पत्र शासकीय कन्या विद्यालय ठीकरी से प्राप्त किया था जो **प्रदर्श पी-5** है जिसमें फरियादिया की उम्र घटना दिनांक को 18 वर्ष से अधिक होने के कारण लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 7/8 हटाई गई थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि फरियादिया ने **प्रदर्श पी-1** की रिपोर्ट और **प्रदर्श पी-2** के कथन में नहीं दिया था। उसने मन से लेखबद्ध कर लिया था। साक्षी ने सुझाव से भी इंकार किया कि फरियादिया को उसके मोहल्ले वाले दबाव देकर रिपोर्ट कराने लाये थे अथवा उसने असत्य कार्यवाही की है।

08. राजीनामा होने के कारण किसी अन्य साक्षी का परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया। ऐसी स्थिति में जबकि प्रकरण की फरियादिया ने आरोपी से राजीनामा किया तथा उसने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया तो ऐसी स्थिति में फरियादी के पक्ष विरोधी रहने के आधार पर आरोपी के विरुद्ध कोई भी अपराध प्रमाणित नहीं होता है और उसके विरुद्ध कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता।

09. उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अपना मामला आरोपी के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः यह न्यायालय आरोपी सुनिल पिता नानुराम को भा.द.सं. की धारा 354 के अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित करता है। आरोपी के जमानत और मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जप्त संपत्ति नहीं है।

10. आरोपी के अभिरक्षा में रहने के संबंध में द.प्र.सं. की धारा 428का प्रमाण पत्र बनाया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

सही / -

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी म.प्र.

सही / -

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी म.प्र.

